न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या — 218/2023

उनवान

मु. कमलादेवी पत्नी बंशीलाल कोली निवासी शाहपुरा

— प्रार्थिया

बनाम

1— अनिता पत्नी सुरेश बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
2— दिनेश पुत्र रामेश्वर बैरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा

— विपक्षीगण

उपस्थिति :— श्री दीपक पारीक
अधिवक्ता प्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 03/01/2024

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है — ग्राम **दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 302 रकबा 0.72 है0** कुल किता 1 रकबा **0.72** हैक्टेयर की **प्रार्थिया खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थिया** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 06.11.2023 को विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त किन्तु **विपक्षीगण** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। पीठासीन अधिकारी विधानसभा आम चुनाव 2023 नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त होने से प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 22.01.2024 नियत की गयी। दिनांक 01.01.2024 को अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई के प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पेशी दिनांक 22.01.2023 के स्थान पर 03.01.2023 नियत की गयी। दिनांक 03.01.2023 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थिया** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थिया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थिया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **दौलतपुरा** में स्थित **प्रार्थिया** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.72 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/— रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थिया** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/01/2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर